(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः एफ.एस.एस.एक्ट 24/2018

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री पुरषोत्तम राठोर पुत्र श्री पूरणमल राठौर उम्र 38 वर्ष जाति राठौर निवासी खाती कॉलोनी हॉस्पिटल रोड बारां जिला बारां **(मौके पर मौजुद विक्रेता व मालिक)** मैसर्स रिद्धि सिद्धि बैकर्स, जॉनल हॉस्पिटल के सामने कोटा रोड, बारां जिला बारां। मो0 नं0 9461611804
2. श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री नन्द लाल जैन, निवासी खाती कॉलोनी पीली कोठी के सामने बारां जिला बारां। मैसर्स नाकोडा सेल्स ऐजेन्सी, सदर बाजार बारां। मो. नं0 9928751888
3. श्री अशोक कुमार माथुर पुत्र श्री गणपत लाल माथुर निवासी सी–92, हरि मार्ग मालवीय नगर जगतपुरा जयपुर (नोमिनि) M/s Gujatat Co-operative, Milk Marketing Federation Ltd, 30 Shri Rampura Colony, Civil Line, Jaipur-302006. Mob- No. 9314871739
4. M/s Gujatat Co-operative, Milk Marketing Federation Ltd, 30 Shri Rampura Colony, Civil Line, Jaipur.

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 09.07.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक़्षा अधिकारी दिनांक 29.11.2017 को मैसर्स रिद्धि सिद्धि बैकर्स, जॉनल हॉस्पिटल के सामने कोटा रोड, बारां जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री पुरषोत्तम राठौर पुत्र श्री पूरणमल राठौर **(मौक पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 29.11.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक/एच/पीएफए /नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **मसाला छाछ (अमूल मस्ती) 200 मि.ली.** के 20 पैक पैकिट विक्रय हेतु रखे हुऐ थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **मसाला छाछ (अमूल मस्ती) 200 मि.ली.** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **मसाला छाछ (अमूल मस्ती) 200 मि.ली.** के 12 पैकेट विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री पुरषोत्तम राठौर पुत्र श्री पूरणमल राठौर को 144/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राम बाबु पंकज व प्रकाश के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **मसाला छाछ (अमूल मस्ती) 200 मी0ली0** के 12 पैकेट को चार नमूना भाग में करके 3–3 मूल पैकेट को पैक किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक निमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–786 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–786 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री पुरषोत्तम राठौर पुत्र श्री पूरणमल राठौर ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/01 दिनांक 01.01.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, नयापुरा कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 949/FSSA / Kota/Act /2017/987 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मसाला छाछ (अमूल मस्ती)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स रिद्धि सिद्धि बैकर्स, जॉनल हॉस्पिटल के सामने कोटा रोड, बारां जिला बारां से पत्रांक 03 दिनांक 01.01.2018 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र, क्रय बिल एवं अन्य दस्तावेज की सूचना चाही गई। मैसर्स रिद्धि सिद्धि बैकर्स द्वारा प्रतिउत्तर में मसाला छाछ (अमूल मस्ती) का क्रय बिल एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं पहचान दस्तावेज की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया। मैसर्स नाकोडा सेल्स ऐजेन्सी, सदर बाजार बारां से पत्रांक 13 दिनांक 08.01.2018, 43 दिनांक 14.02.2018, 73 दिनांक 09.03.2018 एवं 93 दिनांक 06.04.2018 द्वारा फर्म खाद्य अनुज्ञा पत्र, क्रय बिल एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। मैसर्स नाकोडा सेल्स ऐजेन्सी द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा, पेन कार्ड, आधार कार्ड, एवं क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया। M/s Gujatat Co-operative, Milk Marketing Federation Ltd, 30 Shri Rampura Colony, Civil Line, Jaipur से पत्रांक 113 दिनांक 07.05.2018, 126 दिनांक 28.05.2018, 144 दिनाक 25.07.2018, 154 दिनांक 21.08.2018, 162 दिनांक 11.09.2018 व 179 दिनांक 03.10.2018 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। M/s Gujatat Co-operative, Milk Marketing Federation Ltd द्वारा केन्द्रीय खाद्य अनुज्ञा पत्र, जी0एस0टी0, आधार कार्ड, एवं नोमिनेशन फॉर्म XI की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया। जिसमें M/s Gujatat Co-operative का श्री अशोक कुमार माथुर पुत्र श्री गणपत लाल माथुर निवासी सी–92, हरि मार्ग मालवीय नगर जगतपुरा जयपुर (नोमिनि) बताया गया है। समस्त दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 14.11.2018 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करने हेतु अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मसाला छाछ (अमूल मस्ती) 200 मि.ली.** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ा) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने कहा कि अप्रार्थी क्रम 01 अमूल कम्पनी के उत्पाद के विक्रेता है। अप्रार्थी क्रम 02 हॉल सेलर है एवं अप्रार्थी क्रम 03 कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधी है एवं अप्रर्थी क्रम 04 निर्माता कम्पनी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त परिवाद धारा 2 की उपधारा 11 के तहत पेश किया गया है जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत नही आता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को कभी भी जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध नही करवायी गई। जांच रिपोर्ट में सेम्पल को मिस ब्राण्डेड बताया गया है एवं मिस ब्राण्डेड बताये जाने का कारण सिर्फ इतना है कि **उत्पाद के पैकेट पर अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च के चित्र अंकित है। परन्तु जांच के दौरान उक्त सभी चित्रित वस्तुऐं सेम्पल में नही पायी गई।** उक्त सम्बन्ध में कथन है कि सभी वस्तऐं जो चित्र में दर्शायी गई है, वह उत्पाद के "Ingredients" में नही है, अपितु चित्र में दर्शाकर चित्र के पास ही "Suggested Garnishing" अंकित किया गया है। अर्थात यह बताया गया है कि इस उत्पाद के साथ चित्र में पदर्शित अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च आदि को मिलाकर यदि इसे उपयोग में लिया जाये तो इसको अत्यधिक स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। उक्त जांच प्रयोगशाला

Food Safety & Standard Laboratory, M.B.S. Hospital Campus, Kota खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के अन्तर्गत बतायी गई प्रयोगशाला में नही होने के कारण उक्त जांच रिपोर्ट मान्य नही है। तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल लेने का तरीका भी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सही नही है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, नयापुरा कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 949/FSSA/KOTA/ Act/2017/987 दिनांक 21.12.2017 के बाद खाद्य पदार्थ **मसाला छाछ (अमूल मस्ती)** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र अप्रार्थी क्रम 1 को सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। अप्रार्थी क्रम 1 का दायित्व था कम्पनी को सूचित किये जाने का किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। उक्त खाद्य पदार्थ का सेम्पल नियमानुसार ही लिया गया है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 के पास से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मसाला छाछ (अमूल मस्ती) 200 मि0ली0 पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, नयापुरा कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 949/FSSA/KOTA/ Act/2017/987 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। **उत्पाद के पैकेट पर अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च के चित्र अंकित है। परन्तु जांच के दौरान उक्त सभी चित्रित वस्तुऐं सेम्पल में नही पायी गई।** वह उत्पाद के "Ingredients" में नही है, अपितु चित्र में दर्शाकर चित्र के पास ही "Suggested Garnishing" अंकित किया गया है। प्रकरण मे उक्त चित्र ग्राहक को भ्रमित करने वाले प्रतीत होते है। "Suggested Garnishing" को चित्रो के रूप मे नही दिखाया जाकर, निर्देशो के रूप मे लिखा जाना चाहिये था। अतः उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत प्रत्येक अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 को 5,000/— 5000/—रूपये की जुर्माना राशि, प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 20,000/— रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.07.22 13:53:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: